न्यायालय जिला कलेक्टर पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 12/2020
आर.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00110

अपीलांट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

हरीसिंह पुत्र श्री कुप सिंह जाति राजपुरोहित
निवासी नेतरा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
(राजस्थान)

भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर,

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :— अधिवक्ता अपीलांट श्री मनीष राजपुरोहित
सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 23.07.2020

वकील अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सुमेरपुर के मुकदमा संख्या 1506/2019 बअनवान सरकार बनाम हरीसिंह में पारित निर्णय दिनाँक 20.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है अपील म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो को तलब किया गया एवं मातहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि कोविड 19 के संक्रमण के कारण दिनाँक 17.3.2020 से लोकडाउन हो जाने से समयावधी में अपील पेश नही की गई। बाद में लोकडाउन खुलने पर नकल ली जाकर निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई इस वजह से अपील देरीना प्रस्तुत किये जाने से अन्दर म्याद शुमार फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मे उल्लेखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अपीलांट हरीसिंह निवासी नेतरा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 219, 219/1 अतिक्रमित आराजी खसरा नम्बर 300 के गै. मु. रास्ते के पास स्थित है। जिसकी हदबन्दी वर्षो पूर्व से जहा की हुई है वही है। सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत करने पर प.ह. नेतरा व भू.अ.नि. बांकली से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार बाद जांच व नाप करने पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट पेश की गई जिसके आधार पर अतिक्रमण का प्रकरण मातहत अदालत मे दर्ज कर उसके विरूद्ध जो जैर अपील निर्णय पारित किया वह अपास्त योग्य है।

अपीलांट को वक्त नाप चौक बुलाया नही गया था न ही उसके उपस्थित होने बाबत तथा अतिक्रमित आराजी व अपीलांट की खातेदारी आराजी का नाप चौक किया उसके साक्ष्य सबूत पत्रावली पर है अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलांट को नोटिस मिलने पर वह मातहत न्यायालय में उपस्थित हुआ था एवं मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने व जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाने हेतु निवेदन भी किया गया था जिसका उल्लेख मातहत अदालत की पत्रावली मे [illegible] की दिनांक 5.3.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है। फिर 20.3.2020 को [illegible] निर्णय कर दिया गया जबकि अपीलांट को मजदूर कर उनसे [illegible] लेने हेतु समय दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। बाद में अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण हटा दिया [illegible] है इस बाबत अपीलांट ने इस न्यायालय में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है उसके द्वारा भविष्य में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:31:08 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

उक्त आराजी पर अतिक्रमण नही करने का उल्लेख किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा पश्चातवृती अतिक्रमण किए जाने बाबत पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो अथवा नोटिस जारी किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य सबूत भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। मात्र प.ह. नेतरा की अतिक्रमण रिपोर्ट एवं उसके बयान व भू.अ.नि. नेतरा के बयानों के आधार पर ही अपीलांट को पश्चातवृती अतिक्रमी माना जाकर तीन माह के सिविल कारावास एवं लगान के 50 गुणा जुर्माना आरोपित किए जाने बाबत जो निर्णय नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया वह विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है जो निरस्त किए जाने योग्य है। प. ह. नेतरा एवं भू. अ. नि. बाँकली के बयानों में पूर्व में अतिक्रमण किया जाने एवं धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का उल्लेख है लेकिन प्रकरण संख्या, निर्णय की प्रति अथवा भौतिक रूप से बेदखल किए जाने बाबत रिपोर्ट नही है। सिविल कारावास जैसे कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई तथा अतिक्रमण हटाने हेतु भी पर्याप्त समय नहीं देकर मात्र 15 दिवस का समय दिया गया। जो न्यायोचित नही है। प्रार्थी अपने खातेदारी में अंकित रकबे पर ही काबिज था फिर भी वर्तमान मे अतिक्रमण नही है न ही भविष्य मे करेगा ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम नेतरा के खसरा नं. 300 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था एवं सम्पर्क पोर्टल में दर्ज परिवाद की बाद जाँच प.ह. नेतरा एवं भू.अ.नि. बांकली की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट पश्चातवृती अतिक्रमी होने से जुर्माना एवं सिविल कारावास बाबत जो निर्णय मातहत अदालत द्वारा पारित किया गया जो न्यायोचित होने से उसे यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया, इस पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक राज./न्याय/स्था./प–88/2012/7689–97 दिनांक 18.6.2020 के अनुसार कोविड–19 के कारण 23.3.2020 से 29.6.2020 तक न्यायिक कार्य स्थगित रहने से उक्त अवधी परीसीमा गणना से बाहर रहेगी। तथा न्यायिक कार्य आज भी स्थगित होने से उक्त आदेश के मध्यनजर यह अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती हे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनानुसार अपीलांट द्वारा जैर अपील खसरा नंबर 300 गै.मु. रास्ता की आराजी जो नेतरा ग्राम में स्थित है उस पर अपीलांट द्वारा अनजाने में अतिक्रमण होना स्वीकार किया है लेकिन पूर्व में कभी भी बेदखल नहीं किया गया है अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी पर वर्षों से उसी सीमा तक काबिज है जो मौके पर थी जिसे वर्तमान में हटाकर अपनी सीमा में ले लिया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटा लेने एवं आइंदा उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र भी इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मातहत अदालत द्वारा आदेशिका दिनांक 5.3.2020 को अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने एवं अतिक्रमण हटाने हेतु समय दिया गया था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.3.2020 को अनुपस्थित रहने मात्र से अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का बिना सत्यापन कराए जो सिविल कारावास सम्बन्धी कठोर निर्णय पारित किया गया वह न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:31:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण [illegible] उस पर जुर्माना आरोपित करने, एवं पूर्व में अतिक्रमित आराजी से भौतिक [illegible] सम्बन्धी किसी भी प्रकार का साक्ष्य अथवा सबूत पत्रावली संलग्न नहीं किया है [illegible] आज्ञापक था फिर भी अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास एवं लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है। मातहत अदालत को

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

अपीलांट के अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कथनों का प.ह. नेतरा अथवा भू अभिलेख निरीक्षक बांकली से सत्यापन कराना चाहिए था जो नहीं कराया जाकर मातहत अदालत ने भारी विधिक भूल की है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अतिक्रमण के लिए आमादा मानने का भी कोई ठोस आधार नहीं है। मात्र अतिक्रमण रिपोर्ट एवं बयानों के आधार पर इस प्रकार सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित कीया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उनके न्यायालय की पत्रावली संख्या 1506/20119 बअनवान सरकार बनाम हरिसिंह में पारित निर्णय दिनांक 20.3.2020 को अपास्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि प.ह. नेतरा एवं भू.अ.नि. बांकली के द्वारा सत्यापन कराया जावे कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है अथवा नहीं। अगर सत्यापन में यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया है तो साक्ष्य सबूतों के साथ विधिवत कार्यवाही की जावे। तहसीलदार सुमेरपुर को मातहत अदालत की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.7.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंश दीप
जिला कलक्टर पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:31:08 IST
Reason: SelfAttested